प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 06(03)/163/ 27757-61 /2016-17 दिनांक: 14 दिसम्बर 2016

विषयः- **प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एंव मानदेय प्राप्त कर रहे पी0टी0ए0 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-41 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-1828/XXIV-4/2016-10(12)/2013 दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एंव मानदेय प्राप्त कर रहे पी0टी0ए0 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 की धारा-41 में संशोधन के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-357/XXXVI(3)/2016/85(1)/2016 दिनांक 30.11.2016 द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 की धारा-41 में संशोधन से सम्बन्धित उक्त अधिसूचना दिनांक 30.11.2016 के प्राविधानानुसार नियमानुसार आवश्यक/अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय
14.12.2016
(आर0के0कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0- 06(4)/163/ 27757-61 /2016-17 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल/कुमायूं मण्डल नैनीताल, अपने स्तर से भी जनपदों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी, एम0आई0एस0 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा, देहरादून को इससे कि उक्त अधिसूचना को schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

14.12.2016
(आर0के0कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

क्रम संख्या–187 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई०
अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 357/XXXVI(3)/2016/85(1)/2016
देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 32 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2006) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 41 का संशोधन — 2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2006) की धारा 41 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"41. प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 18–10–2011 तक निजी स्रोतों से सेवायोजित ऐसे अशंकालिक अध्यापक/पी0टी0ए0 शिक्षकों को प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ नियुक्ति दी जा सकेगी, जिनके लिए तत्समय नियमानुसार पद सृजित थे, संगत पदों के लिए वह विहित अर्हताएं पूर्ण करते थे, परीक्षाफल, कार्य एवं व्यवहार उत्तम रहा है और राजकोष से मानदेय का संदाय अनुमन्य किया गया हो।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 357/XXXVI(3)/2016/85(1)/2016
Dated Dehradun, November 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand School Education (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 32 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 November, 2016.

THE UTTARAKHAND SCHOOL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 32 Year 2016)

An

Act

further to amend the Uttarakhand School Education Act, 2006 (Act no 8 of 2006)

Be enacted by Uttarakhand Legislative Assembly in sixty seventh year of Indian Republic as under:-

Short title and commencement

1. (1) This Act shall be called Uttarakhand School Education (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 41

2. Section 41 of the Uttarakhand School Education Act, 2006 (Act no 8 of 2006) shall be substituted as follows, namely-

"**41.** Such part time teachers/ P.T.A. teachers employed from private sources upto dated 18-10-2011 by the Managing Committee may be appointed as adhoc by the Managing Committee which for the post were created as per rule at crossponding time, were completed prescribed qualifications for the relevent posts, the result, conduct and behaviour are best and the payment of honorarium is admissiable from the Treasury."

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 41 अंशकालिक अध्यापक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति से सम्बन्धित है। चूंकि दिनांक 5–9–2003 के पश्चात् ऐसे शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति विधि के अभाव में नहीं हो पा रहा है। अतः जनहित में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 41 को संशोधन किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

2– अतएव विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

भवदीय,

मंत्री प्रसाद नैथानी,
मंत्री।